# न्यायालय उपखण्ड अधिकरी नांवा (नागौर) राज.

पीठसीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

| प्रार्थीगण :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| 1. भैरूराम पुत्र किसनाराम जाट<br>1/1 जमनादेवी पत्नी भैरूराम<br>1/2 बोदूराम पुत्र भैरूराम<br>1/3 छितर पुत्र भैरूराम<br>1/4 हमेश पुत्र भैरूराम<br>1/5 जीवणी पुत्री भैरूराम<br>1/6 घोठी पुत्री भैरूराम<br>2. लाराम पुत्र किसनाराम<br>3. दल्लाराम पुत्र किसनाराम<br>जाति जाट स. देवला तह. नांवा | | 1. सोनीदेवी बेव कालूराम<br>2. कानाराम पुत्र कालूराम<br>3. पुरूषोतम पुत्र कालूराम<br>4. गंगाराम पुत्र कालूराम<br>5. सीताराम पुत्र कालूराम<br>6. राजकुमार पुत्र कालूराम ना.बा.<br>7. रामेश्वर पुत्री कालूराम<br>8. रामेश्वरी पुत्री कालूराम<br>9. रूकमा पुत्र कालूराम<br>10. ममता पुत्री कालूराम<br>11. तहसीलदार, नांवा<br>12. उप पंजीयक नांवा |

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल वकील प्रार्थीगण

श्री हनुमानाराम वकील अप्रार्थीगण

मुकदमां नम्बर :–

निर्णय दिनांक :– 8.4.17

## निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षपे में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वदीगण व प्रतिवादी 1 से 10 के पिता कालूराम एक ही खानदान के हैं कालूराम स्व. रूघाराम के नाबालिगी में ही गोद चल अया था जिससे कलूराम का मृतक किशनाराम पुत्र अमराराम के खाता संख्य 24, 25, 46 वाके देवला की 1/4 हिस्से की भूमि से कोई वास्ता नहीं रहा हैं कालूराम दत्तक पुत्र रूघाराम कि आराजीयत ग्राम मालिकपुरा तहसील रेनवाल जिला जयपुर में वारिसान होने से निहित हो गये तथा वादीगण का मृतक किश्नाराम पुत्र अमराराम के उपयोक्त खाता संख्या 24, 25, 46 में संयुक्त 1/4 हिस्सा निहित हैं खाता संख्या 24 के खसरा नम्बर 37, 38, 39, 50, 51, 53, 54, 65, 66, 36 कुल रकबा 8.94 हैक्टयर भूमि तथ किशनाराम पुत्र अमराराम का 1/4 हिस्सा, खतौनी संख्या 25 रकबा 4.35 हैक्टयर भूमि में किशनाराम पुत्र अमराराम का

8/4/17
उपखण्ड अधिकारी
नांवां (नागौर)

1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 46 के खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 कुल रकबा 8.64 हैक्टयर भूमि किशनाराम पुत्र अमराराम का 1/4 हिस्सा हैं, वदीगण के स्वर्गीय पिता किशना पुत्र अमरा के फौत होन पर उसकी विरासत का फौतगी नामान्तकरण 1/4 हिस्से का वादीगण के नाम ही खुलना चाहिऐ किनतु प्रतिवादीगण 1 से 10 के पिता कालूराम ने भी अपने नाम का खातेदारी में इन्द्रा करवा दिया हालाकि वादीगण शान्तिपूर्वक उक्त सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि पर काश्त करते हैं कालूराम ने अपने जीवन काल में कभी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखल नहीं की हैं कालूराम अपने गोद पित के पास चला गया था ओर मलिकपुरा का विरसत का नामान्तकरण अपने नाम खुला लिया था ओर काबिज हो गया था प्रार्थीगण के कब्जे काश्त कालूराम व उसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 से 10 का कोई सम्बन्ध न ही पूर्व में रहा था न ही अब है, अचानक जमीनों भाव बढ जाने से स्व. कालूराम के वारिसान प्रतिवादी 1 से 10 कि नियम में फितुर उत्पन्न हो गया एवं वह वादीगण के 1/4 हिस्से की आरजीयत में 1/4 अर्थात आराजीयत में 1/16 हिस्सा होने जाहिर कर वादीगण को बेदखल करने की घमकी दी हैं। जिसमें अप्रार्थीगण सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी जिससे वादी ने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश ग्राम देवला के खाता संख्या 24, 25, 46 में दर्ज वदीगण के 1/4 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में दखन्दाजी नहीं करे व तथा भूमि का बैचान नहीं करे तथा बैचान पंजीयन नहीं करे इस हेतु पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 10 की ओर से वकली श्री हनुमानाराम जी ने जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुवान वाद अदालत हाजा में पेश किया हैं परन्तु वाद पत्र मनगड़त व झूठे तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीगणों को किसी भी हालात में सफलता नहीं मिल सकती हैं स्व. कालूराम किशनाराम का पुत्र था तथा प्रार्थीगण का भाई था स्व. कालूराम रूघाराम के गोद नहीं गया रूघाराम नाम का व्यक्ति मलीकपुर में नहीं हैं रूघाराम देवला ग्राम का ही व्यक्ति था जिसका स्वर्गवास होने पर उसकी ओरत ने प्रार्थीगण व स्व. कालूराम के पिता स्व. किशनाराम की चूड़ी पहन ली जिसके प्रार्थीगण व स्वर्गीय कालूराम लड़के हैं किशनाराम का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तकरण के जरिये खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई हैं। उक्त विवादित आराजीयत में 1/4 हिस्सा पहले स्व. किशनाराम की कब्जे शुद खातेदारी की भूमिया रही हैं जिनका स्वर्गवास होने के बाद जरिये फोतगी नामान्तकरण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 10 के पिता के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज रिकार्ड चली आ रही हैं स्व. कालूराम का स्वर्गवास हो चुका हैं उनके हिस्से की भूमि जरिये विरासत के अप्रार्थी 1 से 9 काबिज चले आ रहे हैं स्व. कालूराम किसी भी अन्य व्यक्ति के गोद नहीं गये हैं प्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया हैं तथा अप्रार्थीगण की भूमि हडपने की नियत से झूठा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी
(नागौर)

वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ विवादित आराजीयत की जमाबन्दी ही पेश नहीं की हैं जिससे स्पष्ट हो सके की विवादित भूमि की खातेदारी किसके नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं कि जिससे यह स्पष्ट होता हो, की अप्रार्थी के पिता स्व. कालूराम अपनी नाबालिग अवस्था में ही स्व. रूघाराम के गोद चले गये हो, उक्त भूमि पुश्तैनी हैं तथा सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण की कब्जा काश्त रहा हैं ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं केवल मात्र प्रार्थना पत्र में सजरा खानदान अंकित करते हुऐ स्व. कालूराम को रूघाराम के गोद चला गया हैं अंकित करने मात्र से ही अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं प्रार्थीगण स्वंय ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज होना बताया हैं तथा सजरा खानदान के अनुसार उक्त विवादित आराजीयत को पुश्तैनी हक हिस्से व खातेदारी की होना बताया हैं जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वज किशनाराम के चार पुत्र होना अंकित किया हैं जिनके नाम भैरूराम, कालूराम, दुलाराम, दल्लाराम बताऐ हैं जिनमें से कालूराम को नाबालिग अवस्था में रूघाराम सारण निवासी मलिकपुरा रेनवाल के गोद जाना अंकित किया हैं लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की हैं केवल प्रार्थना पत्र में गोद चला गया लिखने मात्र से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में कोई सत्यता हैं तो प्रार्थीगण साक्ष्य सबूतो के आधार पर वाद में साबित करे। अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार हैं जिन्हें यह अधिकार जरिये उत्तराधिकार में मिले हैं जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता हैं न ही अपूर्णिय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है, प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहे है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता हैं। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/11/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा